कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक सतपुड़ा भवन, भोपाल

कमांक/निस/667 भोपाल, दिनांक

प्रति,

समस्त वन संरक्षक
समस्त वनमंडलाधिकारी

विषयः- वन क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा अवैध कटाई में प्रभावी नियंत्रण हेतु वन क्षेत्रों में गहन गश्त करने के संबंध में ।

१. अतिक्रमण

प्रतिवर्ष वर्षा प्रारंभ होने के साथ ही वन क्षेत्रों में अतिक्रमण की संभावना बढ़ जाती हैं ।

वन क्षेत्रों में अतिक्रमण दृढता से गति लाने के संबंध में शासन तथा विभाग के स्पष्ट व कड़े निर्देश है ।

किसी वन क्षेत्र में अतिक्रमण के पहले पेड़ों को काटा या Girdle किया जाता है और उसके पश्चात् क्षेत्र की सफाई के पश्चात ही अतिक्रमण होता है । कुछ ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं जहां वन नही है, ऐसे क्षेत्र नदी नालों के पास वाली भूमि होती है ।

यदि क्षेत्रीय अमला विशेष कर बीटगार्ड/ परिक्षेत्र सहायक, अपने क्षेत्र में विस्तृत व व्यापक दौरा करते रहें तो निश्चित ही उन्हे ऐसे संभावित स्थानों का पूरा ज्ञान हो जाता हैं और यदि ऐसे स्थानों पर बराबर नजर रखी जाय तो निश्चित ही अतिक्रमण की संभावनाएँ टल सकती हैं और यदि कोई अतिक्रमण करने का प्रयास भी करे तो समय रहते जानकारी मिलने से उस निश्चित ही विफल किया जा सकता हैं ।

इस परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र में लगातार विस्तृत भ्रमण करें ताकि वन क्षेत्रों में अतिक्रमण न होने पायें । इस कार्य में ग्राम वन/ वन सुरक्षा समितियां बहुत कारगर तथा प्रभावी हो सकती है। अनेक स्थानों पर समिति सदस्यों के सक्रिय सहयोग तथा हस्ताक्षेप से अतिक्रमण के प्रयास का विफल किया भी गया है। स्थानीय जनता का सहयोग वन सुरक्षा तथा अतिक्रमण की रोक–थाम का सबसे प्रभावी माध्यम व अस्त्र है और इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए ।

जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षेत्रों में इन निर्देशो के बावजूद भी अतिक्रमण होना पाया गया उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

यह बताना आवश्यक है कि वन क्षेत्रो में अतिक्रमण वन संरक्षण अधिनियम 1980 का भी उल्लंघन है तथा इसके लिए नियमों में कड़े दंड का प्रावधान रखा गया है ।

---२

अवैध कटाई

सामान्यतः यह धारणा रहती है कि बरसात के दिनों में वनाधिकारी/कर्मचारी वनों के अंतराल में नहीं जाते है। इस स्थिति का वन चोर लाभ उठाने का प्रयास करते है और बरसात के दिनों में अवैध कटाई करते है तथा मौसम खुलते ही लकड़ी वनों से बाहर ले जाते है।

ऐसा देखा गया है कि वन क्षेत्रों में बरसात के दिनो में अवैध कटाई अन्य मौसम की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि खुले मौसम में वन अधिकारी/कर्मचारी सक्रिय रहते है तथा क्षेत्र में आना–जाना लगातार बना रहता है किन्तु बरसात मे ऐसा न होने से वन क्षेत्रों में अवैध कटाई की संभावना बढ़ जाती है ।

इस दृष्टि से निर्देशित किया जाता है कि सभी क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र में बरसात के दिनों में विशेष सतर्कता बरते और वन क्षेत्रो के अंतराल में गहन गस्त करें । जहां वाहन न आ सकें वहां पैदल गस्त की जाय । स्थानीय अधिकारियो/कर्मचारियो को ग्राम वन/वन सुरक्षा समितियों तथा अन्य माध्यमों से यह जानकारी निश्चित रुप से रखना चाहिए कि कौन क्षेत्र अवैध कटाई की दृष्टि सं संवदेनशील है तथा यह अवैध कटाई करने वाले संभावित चोर कौन हो सकते है तथा पेड़ काटनें की तर्ज़ क्या है, निकासी का मार्ग व स्थान कौनसे हो सकते है. यह गुप्त जानकारी अवैध कटाई पर अंकुश लगाने की दृष्टि से प्रत्येक क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी को अपने क्षेत्र में आवश्यक रुप से रखनी चाहिए तभी अवैध कटाई पर नियंत्रण रखा जा सकता है ।

सभी क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी उपरोक्त निर्देशों के अनुसार बरसात के दिनों में अतिक्रमण/अवैध कटाई पर नियंत्रण रखे । जिन अधिकारियो/कर्मचारी के क्षेत्रो में अतिक्रमण/अवैध कटाई पाई जायेगी उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

वन संरक्षण वन अधिकारी/कर्मचारी का प्रथम तथा सर्वप्रमुख दायित्व व कर्तव्य है और इसमे किसी प्रकार की उदासीनता व लापरवाही बर्दास्त नहीं की जा सकती है ।

Nalewal 09/7

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

क्रमांक/निस/ 668 भोपाल, दिनांक 10/7/98

प्रतिलिपिः–

समस्त अपर प्र०मु०व०स० /मु०व०स० की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । कृपया अपने प्रभार के वृत्त/वृत्तों में बरसात के दिनों में अंतराल के क्षेत्रों में वाहन / पैदल भ्रमण आवश्यक रुप से करें ताकि वन सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ।

Nalewal 09/7

प्रधान मुख्य वन संरक्षक